



झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन कार्यालय, राँची)

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-लेम, थाना-बड़गाई, अंचल-बड़गाई, जिला-राँची में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना- लेम राँची सीवरेज ड्रेनेज जोन-1 के लिए एस0टी0पी0 निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है, प्रभावित परिवारों के पुर्नर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासन के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-लेम, थाना-बड़गाई, अंचल-बड़गाई, जिला-राँची में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश-6.72 एकड़ भूमि मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरणी निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क्र0	खाता सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	77	1167			0.23	गैरमजरुआ मालिक	जुमार नदी	RS प्लॉट नं0-1186 (P), 1188, 1189, 1191	RS प्लॉट नं0-1170, 1178, 1179, 1180, 1182	RS प्लॉट नं0-1175(P), 1176, 1164 एवं नाला
2	75	1168			0.13	मलकू लोहार	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
3	75	1169			0.47	मलकू लोहार	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
4	75	1170			0.30	मलकू लोहार	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
5	77	1171			1.19	गैरमजरुआ मालिक	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
6	75	1172			0.32	मलकू लोहार	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
7	75	1173			0.26	मलकू लोहार	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
8		1174			0.18		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
9	77	1177			3.38	गैरमजरुआ मालिक	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
10	69	1181			0.01	बकास्त भुईहरी	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
11	76	1187			0.07	मंगल पाहन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
12	69	1187			0.18	बकास्त भुईहरी	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/सममाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथा विनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची और उनके कर्मचारी.....
..... को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


अपर समाहर्ता,
राँची।